बिहार विधान परिषद् के लिए अल्पसूचित प्रश्न	
प्रो0 नवल किशोर यादव, मा0 स0वि0प0 द्वारा 176वें सत्र में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–आर0आर0–1 के संबंध में। क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
अल्पसूचित प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या यह सही है कि प्राकृतिक आपदाएँ किसी को बताकर नहीं आती, फिर भी आपदा के प्रति विभाग सचेत नहीं है ;	अस्वीकारात्मक।
(ख) क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन कानून का बने 6 साल हो गये है, लेकिन राज्य में आपदा योजना नहीं बन सकी है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य आपदा प्रबंधन योजना प्रारूप को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष 24.05.13 को अनुमोदनार्थ रखा गया था। प्राधिकरण द्वारा योजना में कतिपय संशोधन का सुझाव दिया गया हैं, जिसे संशोधित कर लिया गया है एवं इसे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ रखा जाएगा ।
(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में 1 लाख 25 हजार मिस्त्री को भूकम्परोधी मकान बनाने के लिए जिलास्तर पर प्रशिक्षण देने की योजना बनी थी, लेकिन उस योजना पर अब तक अमल नहीं हो सका है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्यादेश सं0–671 दिनांक–02.03.2012 द्वारा अभियंताओं/ वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रीयों को भूकम्परोधी निर्माण के तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने के परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है, जिसके आलोक में अबतक मास्टर ट्रेनर के रूप में अभियंताओं एवं वास्तुविदों को बिपार्ड द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है । प्रथम चरण में अभियंताओं के सात बैच को प्रशिक्षित किया गया है । शेष प्रशिक्षण जारी है।
(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायेगी कि किन परिस्थितयों में आपदा योजना एवं लक्ष्य किये गये राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका है और इस पर कबतक पहल करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?	प्रथम चरण में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो प्रमण्डल स्तर/जिला स्तर पर अभियंताओं /वास्तुविदों/राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करेंगे । राज्य में विपार्ड एक मात्र ऐसी संस्था है जो राज्य के सभी विभागों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करती है । ऐसी परिस्थिति में सभी विभागों के लिए एक कैलेन्डर बनाया जाता है जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के लिए भी समय निर्धारित रहता है । विपार्ड के सीमित संसाधन को बढ़ाने हेतु जिससे, आपदा प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित किया जा सके, विभाग द्वारा एक करोड़ रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0प0अ0सू0प्र0–01 / 2014 / ..... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को उनके ज्ञापांक–69(5) दिनांक–27.01.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–04 / वि0प0अ0सू0प्र0–01 / 2014 / 826 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 5/8/14

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/2/14
विशेष कार्य पदाधिकारी